

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्र010/विविध/वि0का0- 18/2015 - 326

खाद्य, पटना/दिनांक-19.1.2018

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग/कृषि विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति
कल्याण विभाग/सहकारिता विभाग/शिक्षा विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक,
राज्य खाद्य निगम, पटना।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 अंतर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान/चावल की गड़बड़ी एवं गबन/क्षति करने वाले क्रय केन्द्र प्रभारी/कर्मियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने तथा संचालित विभागीय कार्यवाही में कृत कार्रवाई की अद्यतन सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 2908 दिनांक 09.04.2015, ज्ञापांक 3152 दिनांक 16.04.2015, पत्रांक 3147 दिनांक 16.04.2015, पत्रांक 4629 दिनांक 11.06.2015, पत्रांक 8923 दिनांक 25.11.2015, पत्रांक 519 दिनांक 25.01.2016, पत्रांक 3612 दिनांक 10.06.2016, पत्रांक 6028 दिनांक 06.10.2016, पत्रांक 1715 दिनांक 06.04.2017, बैठक की कार्यवाही दिनांक 14.07.2017 का ज्ञापांक 3711 दिनांक 31.07.2017, पत्रांक 3793 दिनांक 04.08.2017 एवं पत्रांक 4586 दिनांक 13.09.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न विभागों के स्तर पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में दिनांक 14.07.2017 को सम्पन्न बैठक में अवगत कराया गया था कि खरीफ विपणन मौसम, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 अंतर्गत दोषी प्रमादी मिलरों एवं कर्मियों के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2017 को पारित आदेश के आलोक में एस0आई0टी0 का गठन किया गया है। ऐसी स्थिति में विभिन्न विभागों के स्तर पर दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्रवाई पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

विदित हो कि बैठक के दौरान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अनुरोध किये जाने तथा लगातार स्मारित किये जाने के पश्चात भी संबंधित विभागों से प्राप्त चिन्हित दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किये जाने से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र के अनुसार अद्यतन सूचना संकलित किये जाने में कठिनाई हो रही है।

अतः अनुरोध है कि मुख्य सचिव के स्तर से निर्गत पत्र सं० 7811 दिनांक 28.09.2015 द्वारा प्रेषित विहित प्रपत्र (छायाप्रति संलग्न) में चिन्हित दोषी कर्मियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए समेकित सूचना विहित प्रपत्र के साथ विभाग के नोडल पदाधिकारी को दिनांक 25.01.2018 को 12.30 बजे अप० से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में भाग लेने का निदेश देने की कृपा की जाय।

अनु० - यथोक्त।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,
19/1/2018
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र०10/विविध/वि०का०- 18/2015-326 खाद्य, पटना/दिनांक-19.1.2018
प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित विभागों से संबंधित जिला स्तर पर लंबित मामलों की सम्यक समीक्षा करते हुए जिला स्तर पर लंबित प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर नियंत्रि विभाग को शीघ्र हस्तगत करायी जाय, साथ ही विभागीय कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले यदि जिला स्तर पर लंबित है, तो समीक्षोपरांत उन मामलों को भी त्वरित निष्पादन करते हुए वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

19/1/2018
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र०10/विविध/वि०का०- 18/2015 326 खाद्य, पटना/दिनांक-19.1.18
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/1/2018
सरकार के सचिव।

